रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 30 जुलाई, 2004/8 श्रावण, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय भू-व्यवस्था अधिकारी, शिमला मण्डल, शिमला-171009

विज्ञापन बाबत तजवीज अकसाम अराजी

शिमला-9, 22 जुलाई, 2004

नम्बर रैव०/एस० टी०/एस० एम० एल०/ए० अर्की/82/2004.—तहसील अर्की (एन० ए० सी० अर्की के अतिरिक्त) जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के भू-राजस्व अभिलेख की पुनरावृत्ति हेतु, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 33 व 52 की अधिसूचना संख्या रैव०, 2 एफ० (8)-4/93, दिनांक 30-6-2003 को जारी हुई है। इसके अनुसार तहसील अर्की में बन्दोबस्त का कार्य आरम्भ किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व साधारण निर्धारण नियम, 1984 के नियम 4 के अर्थानुसार हाल बन्दोबस्त में तहसील अर्की (एन० ए० सी० अर्की के अतिरिक्त) में जो-जो अकसाम अराजी प्रयुक्त किए जाने की प्रस्तावना है उनका विस्तृत वर्णन परिभाषा सहित सलंग्न पृष्ठ 1. ता० 4. में किया गया है।

अगर किसी भू-राजस्व अभिदाताओं महानुभाव को इस प्रस्तावना बारे कोई उजर/ऐतराज हो तो विज्ञापन के 30 दिन के अन्दर इस कार्यालय को उजर/ऐतराज भेजें, अगर इस बारा किसी भी भू-राजस्व अभिदाताओं से किसी भी प्रकार का कोई उजर/ऐतराज इस प्रस्तावना बारे उक्त अवधि में प्राप्त नहीं होता तो

प्रस्तावित अकसाम आराजी का अनुमोदन नियमानुसार सरकार हिमाचल प्रदेश से प्राप्त किया जाएगा तथा यह समझा जाएगा कि प्रस्तावित अकसाम आराजी बारा किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है ।

हस्ताक्षरित/-
भू-व्यवस्था अधिकारी,
शिमला मण्डल, शिमला-9.

तजवीज अकसाम आराजी हाल बन्दोबस्त, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

''कृष्ट''

1. सिंचित :—

1. कुहली अव्वल :	वह भूमि जो कूहलों द्वारा आवपाश होती है और ऐसी भूमि जो साल में दो या तीन फसलें काश्त की जाती हैं तथा हर फसल के लिए कुहलों में माकूल पानी उपलब्ध होता हो ।
2. कुहली दोयम :	कुहलों द्वारा आवपाश होने वाली वह भूमि जिसमें साल में एक या दो फसलें काश्त की जाती हों तथा सिंचाई के लिए पानी कुहल अव्वल की अपेक्षा कम मात्रा में उपलब्ध होता हो ।
3. कुहली सोयम :	कुहलों द्वारा आवपाश होने वाली वह भूमि जिसमें सिंचाई के लिए पानी बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है तथा ऐसी भूमि में साल में एक या दो साल में दो/तीन फसलें काश्त की जाती हों ।
4. बागीचा कुहली अव्वल फलदार :	वह भूमि जिसमें फलदार पौधे लगा रखे हों, तथा पौधे फल दे रहे हों, सिंचाई के लिए पानी कुहलों से पर्याप्त मात्रा में मिलता हो ।
5. बागीचा कुहली अव्वल बिला फलदार :	वह भूमि जिसमें फलदार पौधे लगा रखें हों, परन्तु पौधे अभी फल नहीं दे रहे हों तथा सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता हो ।
6. आबी :	वह भूमि जिसकी सिंचाई जल उठाऊ परियोजना द्वारा की जाती हो । नोट.—बरसाती पानी जो टैंकों, तालाबों में जमा किया जाता है और बाद में उसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है ऐसी भूमि भी इसी किस्म में गण्य होगी ।
7. बागीचा आबी फलदार :	उक्त परिभाषित किस्म नम्बर 6 वाली भूमि परन्तु इसमें फलदार पौधे लगा रखे हों ।
8. बागीचा आबी बिला फलदार :	उक्त परिभाषित किस्म नम्बर 6 वाली भूमि परन्तु इसमें लगाए गए पौधे अभी फल नहीं दे रहे हों ।

2. असिंचित :

1. बारानी अव्वल :	वर्षा पर आधारित वह भूमि जो आबादी के समीप हो और उसमें खाद पर्याप्त मात्रा में पड़ती हो तथा इसमें साल में दो/तीन फसलें काश्त की जाती हों।
2. बारानी दोयम :	वर्षा पर आधारित वह भूमि जो आबादी से दूरी पर हो तथा उस भूमि में खाद आदि उक्त वर्णित भूमि बारानी अव्वल की अपेक्षा कम मात्रा में उपलब्ध हो । ऐसी भूमि में साल में कम से कम दो फसलें काश्त होती हों ।
3. बारानी सोयम :	वर्षा पर आधारित वह भूमि जो आबादी से काफी दूरी पर हो तथा उस भूमि में खाद आदि उक्त वर्णित भूमि बारानी अव्वल व दोयम की अपेक्षा कम मात्रा में उपलब्ध हो।
4. बागीचा बारानी अव्वल फलदार :	वर्षा पर आधारित वह भूमि जिसमें फलदार पौधे लगा रखे हों तथा वे फल दे रहे हों ।
5. बागीचा बारानी अव्वल बिला फलदार :	वर्षा पर आधारित वह भूमि जिसमें फलदार पौधे लगा रखे हों और वे अभी फल नहीं दे रहे हों।
6. सैलाबी :	वह काश्ता भूमि जिसमें बरसात के मौसम में काफी पानी प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध रहता है और उस भूमि में फसल खरीफ में प्रायः धान की फसल होती हो ।

नोट.—साबिक कागजात माल में ऐसी भूमि को नड्ड या जोहड़ भी लिखा गया है । हाल बन्दोबस्त में "सैलाबी" ही तसव्वर किया जाएगा ।

3. अकृष्ट :

1. बंजर जदीद :	ऐसी भूमि जो कभी काश्ता थी परन्तु लगातार दो वर्ष से बिला काश्त रही हो तथा चार वर्ष से अधिक बिला काश्त न रही हो ।
2. बंजर कदीम :	वह भूमि जो पहले काश्ता थी परन्तु चार वर्ष से अधिक काश्त न रही हो ।
3. घासनी :	जमींदारान की वह मलकियती भूमि जो घास के लिए रखी जाती हो तथा मौसम बरसात में घास कटाई तक पशुओं के चरांद के लिए इस्तेमाल न किया जाता हो ।
4. वन :	जमींदारान का वह मलकियती रकबा जिसमें किसी भी प्रकार के दरख्तान हों ।

नोट.—इसमें फलदार वृक्ष व बान,-मोहरू आदि वाली भूमि गण्य नहीं की जाएगी ।

5. वनी :	जमींदारान की वह मलकियती भूमि जिसमें पत्तिदार झाड़ियां व बान, मौरू आदि जो चारे के काम आती हों या उस भूमि में कांटेदार झाड़ियां जिनसे भेड़-बकरी आदि को पत्तियां खिलाई जाती हों ।
6. वनबांस :	जमींदारान का वह मलकियती रकबा जिसमें बांस व बांसड़ियां पाई जाती हों ।
7. घासनी सरकार :	सरकार का वह मलकियती रकबा जो किसी सरकारी महकमा के कब्जा में हो और महकमा उसे बतौर घासनी प्रयोग करता हो ।
8. चरागाह द्रख्तान :	सरकार का वह मलकीयती रकबा जिसमें द्रख्तान इस्तादा हों और उस रकबा में जमींदारान के हकूक बर्तन पशु चराई आदि के हों ।
9. चरागाह बिला द्रख्तान :	सरकार का वह मलकियती रकबा जिसमें द्रख्त न हों और बर्तनदारान के हकूक घास कटाई और चराई के हों ।
10. जंगल रिजर्व :	सरकार का वह मलकियती रकबा जिसमें नियमानुसार बुर्जी-बंदी (ठडाबंदी) हुई हो और जंगल रिजर्व करार दिया गया हो ।
11. जंगल मैहफूजा मैहदूदा :	सरकार का वह मलकियती रकबा जिसमें नियमानुसार बुर्जी-बंदी की गई हो और जंगल मैहफूजा मैहदूदा करार पाया हो ।
12. जंगल मैहफूजा गैर मैहदूदा :	सरकार का वह मलकियती रकबा जिसमें नियमानुसार बुर्जी-बंदी की हो और वह रकबा जंगल मैहफूजा गैर मैहदूदा करार पाया हो ।
13. नर्सरी :	वन विभाग का ऐसा रकबा जिसमें पौधशाला हो अर्थात् बतौर नर्सरी इस्तेमाल किया जाता हो ।
14. गैर मुमकिन :	सरकारी/गैर सरकारी ऐसी भूमि जिसकी काश्त में आने की सम्भावना नहीं है ।

नोट.—उक्त वर्णित किस्म नम्बर: 10 व 11 अकृष्ट के अलग-अलग मुहालात कायम होंगे । मुहालात के अन्दर मुहाल नहीं बनाए जाएंगे ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित